



मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड,  
ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल  
**निजी अक्षय ऊर्जा शॉप खोलने हेतु विज्ञापन**

क्रमांक :- ऊविनि/अ.ऊ.शॉ./2017-18/1452

दिनांक 04.07.2017

अक्षय ऊर्जा व ऊर्जा दक्ष उत्पादों के प्रचार-प्रसार, विपणन व रखरखाव आदि के लिए चयनित स्थलों पर निजी अक्षय ऊर्जा शॉप खोले जाने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अक्षय ऊर्जा के अतिरिक्त, एल.ई.डी. बल्ब एल.ई.डी. ट्यूबलाइट, 5 स्टार रेटिंग पंखे आदि का वितरण करना अनिवार्य है। उक्त वितरण करने पर EESL द्वारा निर्धारित कमीशन देय होगा। वितरण कार्य न करने की दशा में, आवंटित शाप निरस्त की जाएगी। निगम द्वारा स्थापित संयंत्रों के रखरखाव आदि भी प्रावधानित है।

**विस्तृत शर्तें**

161 चयनित स्थलों,  
आवेदन प्रपत्र व अन्य  
जानकारी निगम की  
वेबसाइट से निःशुल्क  
डाउनलोड करें।

ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल  
दूरभाष-0755 2553595, 2572804, फ़ैक्स-0755 2553122  
e-mail - [cmpuvn@bsnl.in](mailto:cmpuvn@bsnl.in)  
Website - [www.mprenewable.nic.in](http://www.mprenewable.nic.in)

आवेदन प्रपत्र क्रय  
करने की अंतिम तिथि  
26 जुलाई 2017  
दोपहर 12:00 बजे  
तक एवं जमा करने  
की अंतिम तिथि 26  
जुलाई 2017 शायं  
5:30 बजे तक

योजना संबंधी संपूर्ण जानकारी एवं आवेदन प्राप्ति एवं जमा करने हेतु निम्नानुसार संपर्क करे व आवेदन पत्र की एक प्रति उल्लेखित ई-मेल पर भेजें।

**जिला कार्यालय** — भोपाल (शहरी) 9893292928, भोपाल (ग्रामीण) 9425020851, सीहोर 9525068439, राजगढ़ 9827341398, विदिशा 9893044853, होशंगाबाद/हरदा 9425648843, नरसिंहपुर 9424704394, छिंदवाडा/सिवनी 9425871982, बालाघाट 9827299722, मुरैना/शयोपुर 9425116205, ग्वालियर/शिवपुरी 9826226541, गुना 9300607671, रीवा/सतना 9425158955, उमरिया/अनूपपुर 9827341398, झाबुआ/अलीराजपुर 9827239152, बडवानी/खरगौन 9827502858, उज्जैन 9425365774, सागर/दमोह/टीकमगढ़ 9893247968 छतरपुर/पन्ना 9425641795, मंदसौर/नीमच/रतलाम 9827222217, आगर/देवास 9229924836, जबलपुर/कटनी 9425165435, भिण्ड 9826408464, धार 9407136260, खण्डवा/बुरहानपुर 9584784884, शहडोल/सीधी/सिंगरौली 9755668701, दतिया 9826999049

प्रबंध संचालक



## मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लि०

(राज्य शासन का उपक्रम)

“ऊर्जा भवन”, मेन रोड नं. 2, शिवाजी नगर, भोपाल

### निजी अक्षय ऊर्जा शॉप की स्थापना हेतु आवेदन प्रपत्र

स्थल ..... जिला .....

- 1 आवेदक का नाम — .....
- 2 आवेदक की शैक्षणिक योग्यता (दस्तावेज संलग्न करें) — .....
- 3 प्रस्तावित शॉप का नाम — .....
- 4 स्थापित की जाने वाली शॉप के स्थल का पूर्ण पता — .....
- 5 स्थापित की जाने वाली शॉप का विवरण :
  - क्या शॉप कंस्ट्रक्टेड/परचेज्ड/रेनोवेटेड/लीज/किराये पर है — .....
  - प्रस्तावित करपेट एरिया (वर्ग फीट) — .....
  - प्रस्तावित भण्डारण क्षमता (वर्ग फीट) — .....
- 6 यदि पूर्व से अक्षय ऊर्जा संयंत्रों/ऊर्जा दक्ष उत्पादों से संबंधित कार्य किया जा रहा है तो उसका विवरण टर्न ओवर के साथ (दस्तावेज संलग्न करें) — .....
- 7 पूर्व वर्ष में टर्नओवर अन्य व्यवसाय से (दस्तावेज संलग्न करें) — .....
- 8 कम से कम 2 कर्मचारी उनमें से 1 तकनीकी के रूप में दक्ष हो। संयंत्र/उपकरणों के मरम्मत एवं रखरखाव हेतु (दस्तावेज संलग्न करें) — .....
- 9 टेलीफोन/कम्प्यूटर आदि (दस्तावेज संलग्न करें) — .....

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य एवं सही है। मैंने म०प्र० ऊर्जा विकास निगम द्वारा जारी नियम एवं शर्तें पढ़ ली हैं, एवं मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि, उपरोक्त आवेदन में दी जानकारी नियम व शर्तों के अनुरूप है व मुझे स्वीकार्य है।

स्थल —

दिनांक —

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम .....

पूरा पता .....

### आवेदन पत्र का मूल्य रूपये 500 मात्र

**नोट :** आवेदन पत्र के साथ आवेदन पत्र क्रय की रसीद, वेबसाइट से डाउनलोड करने पर रूपये 500 का डी.डी. मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लि० के पक्ष में संबंधित जिला अक्षय ऊर्जा कार्यालय के जिले के नाम देय हो संलग्न करें। उपरोक्त आवेदन के साथ अन्य दस्तावेज संबंधित जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी, म०प्र० ऊर्जा विकास निगम कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करें। आवेदन पत्र की एक प्रति उल्लेखित ई-मेल/हार्ड कॉपी भेजें।

# अक्षय ऊर्जा शॉप योजना

## उद्देश्य :

प्रदेश में बिजली की माँग एवं प्रदाय के बीच के अंतर को कम करने के लिए, गांव-गांव एवं आम जनता तक विभिन्न अक्षय ऊर्जा संयंत्रों/उपकरणों एवं ऊर्जा दक्ष उपकरणों जैसे-सोलर कुकर, सोलर लालटेन, सौर गर्म जल संयंत्र, सौर लाईट सौर पंप, एल.ई.डी. बल्ब, एल.ई.डी. ट्यूबलाईट, 5 स्टार पंखे इत्यादि पहुंच सके, व इसका फायदा ग्रामीणों को मिल सके, इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए, निजी अक्षय ऊर्जा शॉप खोले जाने की योजना है। अक्षय ऊर्जा शॉप्स खुलने से जहाँ एक ओर अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में आम जनता लाभान्वित होगी वही दूसरी ओर रोजगार की दिशा में एक प्रभावी कदम होगा।

## लाभ :

- आम जन को अक्षय ऊर्जा संयंत्र/उपकरण एवं ऊर्जा दक्ष उपकरण आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे।
- अक्षय ऊर्जा संयंत्रों के बारे में आम जनता को ज्ञान प्राप्त हो सकेगा।
- संयंत्रों के विक्रय पश्चात् की सेवा आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।
- स्कूल/कॉलेज के विद्यार्थियों को संयंत्रों व नई-नई तकनीक के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त हो सकेगा।
- शिक्षित बेरोजगारों द्वारा स्वयं के व्यवसाय प्रारंभ करने में मदद मिलेगी।

## संचालन एवं क्रियान्वयन :

- निजी अक्षय ऊर्जा शॉप का संचालन, म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम द्वारा किया जावेगा।
- म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम के अधीन जिला अक्षय कार्यालय के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन किया जावेगा।

## चयन प्रक्रिया :

- दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम दुकानों का चयन पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया जावेगा।
- विज्ञापन के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे एवं प्राप्त प्रस्तावों को निर्धारित मापदण्डों के आधार पर चयन किया जायेगा।
- जो उद्यमी है, स्वयं का व्यवसाय करना चाहते हैं अथवा अपने व्यवसाय के साथ इस योजना में भागीदारी बन सकते हैं।

## आवश्यक मापदंड :

- दुकान हेतु न्यूनतम 100 वर्ग फीट कारपेट एरिया होना आवश्यक है। भण्डारण क्षमता न्यूनतम 100 वर्ग फीट अतिरिक्त होगी।
- शॉप स्वयं/लीज/किराये की होनी चाहिए। स्वयं की दुकान एवं मुख्य बाजार पर होने पर वरीयता दी जावेगी।
- दुकान में न्यूनतम 02 कर्मचारी होना आवश्यक है जिनमें से एक तकनीकी कार्य में दक्ष हो।
- अक्षय ऊर्जा संयंत्रों/उपकरणों से संबंधित पूर्व से कार्य करने वालों को प्राथमिकता।

## अनिवार्य :

एल.ई.डी. बल्ब, एल.ई.डी ट्यूबलाईट, 5 स्टार रेटिंग पंखे व भविष्य में अन्य वितरण कार्य में संलग्न होना अनिवार्य है।

## योजना की समीक्षा :

प्रत्येक तीन माह में योजना की समीक्षा की जावेगी। जिन अक्षय ऊर्जा शॉप का कार्य संतोषप्रद नहीं होगा उन शॉप्स को चिन्हित किया जाकर, निगम द्वारा कारणों की समीक्षा की जायेगी व तदनुसार निर्णय लिया जावेगा।

## अक्षय ऊर्जा शॉप की स्थापना हेतु दिशा-निर्देश

- 1 अक्षय ऊर्जा शॉप का मुख्य कार्य निम्नानुसार है :
  - विभिन्न अक्षय ऊर्जा संयंत्रों/उपकरणों एवं ऊर्जा दक्ष उत्पादों एल.ई.डी. बल्ब, एल.ई.डी. ट्यूब लाइट्स, 5 स्टार पंखे इत्यादि का विक्रय व रिप्लेसमेंट।
  - अक्षय ऊर्जा संयंत्रों की मरम्मत, रखरखाव एवं सर्विसिंग।
  - अक्षय ऊर्जा संयंत्रों/उत्पादों का प्रचार-प्रसार।
  - अक्षय ऊर्जा उत्पादों को बढ़ावा देना।
- 2 शॉप हेतु न्यूनतम 100 वर्ग फीट का कारपेट एरिया होना आवश्यक है। भण्डारण क्षमता न्यूनतम 100 वर्ग फीट अतिरिक्त होगी। शॉप कन्स्ट्रक्टेड/परचेच्ड/रेनोवेटेड/किराये पर होना चाहिये।
- 3 शॉप शहर के व्यावसायिक स्थल पर होना चाहिये।
- 4 शॉप में कम से कम दो कर्मचारी रखना अनिवार्य है, उनमें से एक तकनीकी कार्य में दक्ष हो ताकि संयंत्रों के मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य शॉप के माध्यम से किया जा सके।
- 5 शॉप औनर अपने वर्तमान व्यवसाय के साथ अक्षय ऊर्जा शॉप का संचालन कर सकता है।
- 6 शॉप व्यवसायिक रूप से व्यापार योग्य हो। अक्षय ऊर्जा संयंत्रों/उपकरणों जैसे सोलर कुकर, सोलर लालटेन, सोलर फोटोवोल्टिक स्ट्रीट लाईट एवं होम लाईट, सोलर वाटर हीटिंग इत्यादि एवं ऊर्जा दक्ष उत्पाद जैसे एल.ई.डी. बल्ब, एल.ई.डी. ट्यूबलाईट, 5 स्टार पंखे, हाई इफिशियेंसी केरोसिन स्टोव्ह, बायोमास कुक स्टोव्ह इत्यादि विक्रय किये जा सकते हैं।
- 7 शॉप द्वारा विक्रय/स्थापित किये गये उत्पादों का मरम्मत, रखरखाव एवं सेवा (सर्विसिंग) देना होगा साथ ही अन्य अक्षय ऊर्जा उत्पाद/संयंत्र जो किसी अन्य माध्यम से विक्रय/स्थापित किये गये हैं उन्हें भी मरम्मत, रखरखाव एवं सेवा (सर्विसिंग) देना होगा।
- 8 शॉप द्वारा प्रतिष्ठित निर्माताओं द्वारा उत्पादित किये गये उत्कृष्ट अक्षय ऊर्जा उत्पादों/संयंत्रों के विभिन्न माडल को प्रदर्शित करना अनिवार्य है जिससे ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार क्रय कर सके।
- 9 शॉप द्वारा रखे गये विभिन्न उत्पादों/संयंत्रों की मूल्य सूची प्रदर्शित करना अनिवार्य है।
- 10 ग्राहकों की सुविधा हेतु विभिन्न अक्षय ऊर्जा उत्पादों के लिये बैंक से ऋण प्रदाय हेतु लिंकेज स्थापित करना होगा।

## निजी अक्षय ऊर्जा शॉप की पात्रता हेतु अन्य शर्तें

- 1 निजी अक्षय ऊर्जा शॉप के लिये जारी विज्ञापन के तहत केवल एक व्यक्ति/संस्था द्वारा एक ही लोकेशन पर आवेदन करने के पात्र होंगे।
- 2 पूर्व में जिन व्यक्तियों को नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की अक्षय ऊर्जा शॉप कार्यक्रम के तहत म0प्र0 के किसी भी जिले/विकास खण्ड में निजी अक्षय ऊर्जा शॉप का आवंटन किया जा चुका है वह इस योजना के तहत आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
- 3 व्यवसायिक स्थल में अक्षय ऊर्जा शॉप खोलना अनिवार्य है।
- 4 उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त संलग्न वित्तीय प्रक्रियाएं भी उक्त शर्तों का भाग होंगी।
- 5 चयनित अक्षय ऊर्जा शॉप को प्रतिष्ठित कम्पनी के उत्कृष्ट अक्षय ऊर्जा उत्पादों एवं ऊर्जा दक्ष उपकरणों के विभिन्न माडल का न्यूनतम स्टॉक प्रदर्शन हेतु शॉप में रखना होगा।

## निजी अक्षय ऊर्जा शॉप में विक्रय की जाने वाली सामग्री हेतु वित्तीय प्रक्रियाएं

1. अक्षय ऊर्जा शॉप द्वारा अक्षय ऊर्जा से संबंधित तथा ऊर्जा बचत करने वाले उपकरणों का ही विक्रय, सामग्री की स्थापना एवं कमीशनिंग जहाँ आवश्यक होगा किया जावेगा।
2. उक्त शॉप द्वारा उपरोक्त सामग्रियों की मरम्मत इत्यादि की भी समुचित व्यवस्था की जानी होगी।
3. अक्षय ऊर्जा शॉप की स्थापना हेतु प्रोप्राइटर/शॉपऑनर का वाणिज्य कर विभाग से टिन नम्बर व सर्विस टेक्स हेतु रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त आयकर विभाग का पेन (PAN) एवं टान (TAN) भी होना आवश्यक होगा।
4. अक्षय ऊर्जा शॉप में पृथक से दूरभाष की व्यवस्था की जानी होगी, इसके अतिरिक्त विद्युत देयक, मेनपावर एवं विविध व्ययों की जानकारी पृथक से संधारित की जानी होगी।
5. सामग्रियों के विक्रय हेतु आवश्यक केश मेमो एवं बिल प्रोप्राइटर/शॉपऑनर द्वारा आवश्यक रूप से जारी किये जावेंगे, जिस पर टिन एवं सर्विस टेक्स का रजिस्ट्रेशन क्रमांक दर्शित होना आवश्यक है, उक्त पर निगम के नाम का कहीं भी उल्लेख न हो।
6. क्रय पंजी, विक्रय पंजी, लेजर स्टाक रजिस्टर इत्यादि संधारित किया जाना आवश्यक होगा।
7. उक्त शॉप में होने वाले लेन-देन हेतु एक पृथक से बैंक खाता खोला (आवंटित अक्षय ऊर्जा शॉप के नाम से) जाना होगा जिसमें केवल उपरोक्त सामग्री से संबंधित लेन-देन की राशि आहरित एवं जमा की जा सकेगी।  
विक्रय पश्चात विक्रय की सभी औपचारिकतायें जैसे सामग्री की गारंटी एवं नियम अनुसार वैधानिक करों की कटौती एवं संबंधित विभागों में जमा करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया का उत्तरदायित्व प्रोप्राइटर/शॉपऑनर का होगा।
8. किसी भी दशा में उक्त लेन-देन निगम का नहीं माना जावेगा।
9. निगम के सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना राज्य शासन/केन्द्र शासन का अनुदान उपरोक्त सामग्रियों पर नहीं दिया जा सकेगा।
10. शॉप में होने वाली सम्पूर्ण गतिविधियों का निरीक्षण समय-समय पर डी.आर.ई.ओ. द्वारा किया जावेगा जिस हेतु डी.आर.ई.ओ. पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. शॉप से विक्रय की जाने वाली सामग्रियों के दरों का प्रदर्शन दिशा निर्देशों अनुसार किया जाना होगा।

## निजी अक्षय ऊर्जा शॉप की चयन प्रक्रिया

क्र.	विवरण	अंक
1	स्वयं की शॉप	10
2	शॉप – न्यूनतम 100 वर्ग फीट	20
3	भण्डारण क्षमता – न्यूनतम 100 वर्ग फीट	10
4	व्यावसायिक स्थल में शॉप	15
5	यदि पूर्व से अक्षय ऊर्जा/ऊर्जा दक्ष उत्पादों से संबंधित कार्य किया जा रहा है	15
6	विगत 3 वर्षों का टर्न ओव्हर अन्य व्यवसाय से	5
7	कम से कम दो कर्मचारी उनमें से एक तकनीकी रूप से दक्ष (मरम्मत एवं रखरखाव हेतु)	15
8	सुविधाये टेलीफोन/कम्प्यूटर/फैक्स एवं अन्य	10
	<b>कुल</b>	<b>100</b>

- टीप –** 1 किराये की शॉप अथवा लीज पर होने पर आवेदित शॉप 5 अंक के पात्र होंगे।  
2 यदि कुल प्राप्तांक (परीक्षण उपरांत) सामान होते हैं तो लाटरी के माध्यम से शॉप का चयन किया जावेगा।



## UJALA योजना के अन्तर्गत एल.ई.डी. बल्ब, एल.ई.डी. ट्यूबलाइट व 5 स्टार रेटिंग पंखे का वितरण

(अ)

- एल.ई.डी. बल्ब (9 वॉट) – वर्तमान दर रु 65/– पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। 9 वॉट एल.ई.डी. बल्ब की 100 वॉट साधारण बल्ब की तुलना में 91 वॉट की बचत होती है। यदि उपभोक्ता प्रति दिन छः घण्टे बल्ब का उपयोग करता है तो आधी यूनिट (91 वॉट × 6 घण्टे = 546 वॉट-घण्टा यानी 0.546 यूनिट) प्रति दिन की बिजली की बचत होती है। वर्तमान में बल्ब की कीमत रु. 65/– है। अतः मात्र एक माह में ही बल्ब की कीमत वसूल हो जाती है। बल्ब की रिप्लेसमेंट वारंटी 3 वर्ष की है। इनर्जी इफिशियेंसी सर्विसेस लिमिटेड (EESL) जो ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है द्वारा वितरण के विरुद्ध कमीशन देय होगा।
- एल.ई.डी. ट्यूबलाइट (20 वॉट) – वर्तमान दर रु 230/– पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। यह ट्यूबलाइट बाजार दर से 3 गुना कम कीमत पर है। 20 वॉट की एल.ई.डी. ट्यूबलाइट उतनी ही रोशनी देती है जितनी 40 वॉट की साधारण ट्यूबलाइट। साधारण ट्यूबलाइट में 15 वॉट की चोक भी होती है, जिससे कुल विद्युत खपत 55 वॉट होती है। अतः 35 वॉट बिजली की बचत होती है। 6 घण्टे रोज उपयोग करने पर रु 38/– प्रतिमाह की बचत होगी। इस प्रकार एल.ई.डी. ट्यूबलाइट की कीमत 6 माह में ही वसूल हो जाएगी। रिप्लेसमेंट वारंटी 3 वर्ष की है। इनर्जी इफिशियेंसी सर्विसेस लिमिटेड (EESL) जो ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है द्वारा वितरण के विरुद्ध कमीशन देय होगा।
- 5 स्टार रेटिंग पंखे (ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) के मापदण्डों के तहत) – यह रु 1150/– की दर पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। यह बाजार दर से आधी कीमत पर है। 50 वॉट का यह ऊर्जा दक्ष पंखा 100 वॉट के साधारण पंखे जितना प्रभावी है। 5 स्टार रेटिंग पंखे से बिजली की 50% बचत होती है। इस प्रकार इसके उपयोग से मात्र 10 माह में ही कीमत वसूल होगी। इन पंखों की रिप्लेसमेंट वारंटी ढाई वर्ष की है। इनर्जी इफिशियेंसी सर्विसेस लिमिटेड (EESL) जो ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है द्वारा वितरण के विरुद्ध कमीशन देय होगा।

(ब) EESL से उनके प्रारूप में अनुबंध करने के पश्चात्, उपरोक्तानुसार उल्लेखित कमीशन घटाकर अग्रिम राशि EESL के ऑन लाईन खाते में जमा करवाकर, वितरण हेतु सामग्री का प्रदाय किया जाएगा। EESL के ऑन लाईन खाते का विवरण निम्नानुसार है:

Account Title	A/C No.	Bank Name & Address	IFSC Code
EESL-DELP-MP-AUS-Energy Efficiency Services Limited	000705042626	ICICI bank, New Delhi Branch 9A, Phelps, Connaught Place, New Dehi-110001	ICIC0000007

विज्ञापन के अन्तर्गत निजी अक्षय ऊर्जा शॉप्स के स्थलों की सूची

क्रं.	जिला	वि.खण्ड/क्षेत्र
1	भोपाल	प्रधान कार्यालय, म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि. 5 न. स्टाप भोपाल
2	भोपाल	बैरागढ़
3	भोपाल	बैरसिया
4	सीहोर	सीहोर
5	सीहोर	बुधनी
6	विदिशा	विदिशा
7	विदिशा	कुरवाई
8	विदिशा	नटेरन
9	रायसेन	रायसेन
10	रायसेन	बेगमगंज
11	रायसेन	उदयपुरा
12	रायसेन	गैरतगंज
13	राजगढ़	राजगढ़
14	राजगढ़	खिलचीपुर
15	राजगढ़	जीरापुर
16	राजगढ़	नरसिंहगढ़
17	होशंगाबाद	सिवनी मालवा
18	होशंगाबाद	बनखेड़ी
19	हरदा	हरदा
20	कटनी	कटनी
21	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर
22	नरसिंहपुर	करेली
23	नरसिंहपुर	चावरपाठा
24	नरसिंहपुर	गोटेगाँव
25	नरसिंहपुर	साईखेड़ा
26	छिंदवाड़ा	परासिया
27	छिंदवाड़ा	तामिया
28	छिंदवाड़ा	अमरवाड़ा
29	छिंदवाड़ा	मोहखेड
30	छिंदवाड़ा	हरई
31	सिवनी	लखनादौन
32	सिवनी	केवलारी
33	बालाघाट	वारासिवनी
34	बालाघाट	बैहर
35	बालाघाट	लालबर्वा
36	बालाघाट	कटंगी
37	बालाघाट	लांजी
38	बालाघाट	खैरलांजी
39	बालाघाट	परसवाड़ा
40	मुरैना	मुरैना

41	मुरैना	पहाड़गढ़
42	मुरैना	जौरा
43	मुरैना	कैलारस
44	मुरैना	पोरसा
45	शयोपुर	शयोपुर
46	शयोपुर	बड़ौदा
47	शयोपुर	विजयपुर
48	भिण्ड	भिण्ड
49	भिण्ड	मेहगांव
50	ग्वालियर	ग्वालियर (ठाठीपुर-मुरार क्षेत्र व जयेन्द्रगंज क्षेत्र के अतिरिक्त)
51	ग्वालियर	ग्वालियर (ठाठीपुर-मुरार क्षेत्र)
52	ग्वालियर	भितरवार
53	ग्वालियर	घाटीगांव
54	शिवपुरी	कोलारस
55	शिवपुरी	खनियाधाना
56	शिवपुरी	करेरा
57	शिवपुरी	पोहरी
58	शिवपुरी	बदरवास
59	गुना	कुंभराज
60	गुना	आरौन
61	दतिया	दतिया
62	रीवा	नईगढ़ी
63	रीवा	गंगेव
64	रीवा	जवा
65	रीवा	हनुमना
66	रीवा	रायपुर कर्चुलियान
67	रीवा	सिरमौर
68	रीवा	त्योंथर
69	सतना	सतना
70	सतना	मैहर
71	सतना	अमरपाटन
72	सतना	उचेहरा
73	सतना	रामनगर
74	सतना	मझगावां
75	सीधी	सीधी
76	सिंगरौली	सिंगरौली
77	सिंगरौली	देवसर
78	सिंगरौली	चितरंगी
79	शहडोल	जयसिंहनगर
80	उमरिया	पाली
81	उमरिया	मानपुर
82	अनूपपुर	अनूपपुर
83	अनूपपुर	पुष्पराजगढ़
84	अनूपपुर	जैतहरी

85	धार	धार
86	अलीराजपुर	अलीराजपुर
87	अलीराजपुर	जोबट
88	अलीराजपुर	भाबरा
89	अलीराजपुर	सोण्डवा
90	अलीराजपुर	उद्यगढ़
91	अलीराजपुर	कट्ठीवाड़ा
92	झाबुआ	झाबुआ
93	झाबुआ	पेटलावद
94	झाबुआ	थांदला
95	झाबुआ	रामा
96	झाबुआ	राणापुर
97	खरगौन	गोगांवा
98	खरगौन	सेगांव
99	बड़वानी	बड़वानी
100	बड़वानी	पाटी
101	बड़वानी	ठीकरी
102	बड़वानी	राजपुर
103	बड़वानी	संधवा
104	बड़वानी	निवाली
105	बुरहानपुर	बुरहानपुर
106	बुरहानपुर	खकनार
107	खण्डवा	खण्डवा
108	खण्डवा	पुनासा
109	खण्डवा	छेगांव माखन
110	खण्डवा	पंधाना
111	खण्डवा	हरसूद
112	खण्डवा	खालवा
113	खण्डवा	बलड़ी (किल्लोद)
114	सागर	केसली
115	सागर	जैसीनगर
116	सागर	रहली
117	सागर	शाहगढ़
118	सागर	मालथोन
119	दमोह	हटा
120	दमोह	पथरिया
121	दमोह	जबेरा
122	दमोह	पटेरा
123	दमोह	बटियागढ़
124	छतरपुर	राजनगर
125	छतरपुर	नौगांव
126	छतरपुर	बड़ामलहरा
127	छतरपुर	गौरिहार
128	छतरपुर	बक्स्वाहा
129	छतरपुर	बिजावर

130	छतरपुर	लौंडी
131	पन्ना	अजयगढ़
132	पन्ना	गुनौर
133	टीकमगंढ	पलेरा
134	उज्जैन	उज्जैन (न्यू सिटी)
135	उज्जैन	उज्जैन (ओल्ड सिटी)
136	उज्जैन	बड़नगर
137	उज्जैन	नागदा
138	उज्जैन	तराना
139	उज्जैन	घटिया
140	उज्जैन	खाचरोद
141	देवास	देवास
142	देवास	कन्नौद
143	देवास	बागली
144	देवास	खातेगांव
145	देवास	सोनकच्छ
146	देवास	टोंकखुर्द
147	रतलाम	बाजना
148	रतलाम	पिपलौदा
149	रतलाम	आलोट
150	रतलाम	सैलाना
151	मंदसौर	गरोठ
152	मंदसौर	भानपुरा
153	मंदसौर	सीतामऊ
154	मंदसौर	मल्हारगढ़
155	नीमच	नीमच
156	नीमच	जावद
157	नीमच	मनासा
158	आगर	सुसनेर
159	आगर	नलखेड़ा
160	आगर	बड़ौद
161	जबलपुर	जबलपुर (सिविल लाईन)

## जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म.प्र. ऊर्जा विकास निगम के पते

<p><b>1</b> <b>जिला – भोपाल (शहर)</b> जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. जोन-II गोमती विला, प्लाट न. 273, देना बैंक के पास, भोपाल फोन न. 0755-2572804 मो. 9893292928</p>	<p><b>2</b> <b>जिला – भोपाल (ग्रामीण)</b> जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. आनन्द नमकीन भण्डार, जोन-II आमेर काम्पलेक्स 5/5, भोपाल मो. 9425020851</p>
<p><b>3</b> <b>जिला – सिवनी</b> जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. नवनीत कॉलोनी जबलपुर रोड, लुधडवाड़ा, सिवनी-480661 मो. 9425871982</p>	<p><b>4</b> <b>जिला – उज्जैन</b> जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. विशाल काम्पलेक्स खण्ड अ, प्रथम तल आर.टी. ओ. आफिस के पास, भरतपुरी, देवास रोड, उज्जैन-456001 फोन न. 0734-2517872 मो. 9425365774</p>
<p><b>5</b> <b>जिला – छिन्दवाड़ा</b> जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. प्रकाश कुमार पिदंडी का मकान, पंचशील नगर श्रीराम कॉलोनी, दीप रेखा भवन, छिन्दवाड़ा-480001 फोन न. 07162-243959 मो. 9425871982</p>	<p><b>6</b> <b>जिला – खरगौन एवं बड़वानी</b> जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. रामयश तिवारी का भवन, एच.बी.-38, नई हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, खरगौन-451001 मो. 9827502858</p>
<p><b>7</b> <b>जिला – शिवपुरी</b> जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. देवेन्द्र कुमार जैन का मकान, फतेहपुर टोगरा, ए.बी. रोड के पास, शिवपुरी-473551 मो. 9826226541</p>	<p><b>8</b> <b>जिला – खण्डवा एवं बुरहानपुर</b> जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. 01, रमा कॉलोनी, खण्डवा-450001 फोन न. 0733-2233061 मो. 9584784884</p>
<p><b>9</b> <b>जिला – ग्वालियर</b> जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. रामकृष्ण आश्रम के पास, थाटीपुर चौराहा, ग्वालियर-474017 फोन न. 0751-2341608 मो. 9826226541</p>	<p><b>10</b> <b>जिला – झाबुआ एवं अलीराजपुर</b> जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. 174, चैतन्य मार्ग, कल्याणपुरा बिल्डिंग, झाबुआ-457661 फोन न. 07392-24829 मो. 9827239152</p>
<p><b>11</b> <b>जिला – राजगढ़</b> जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. जगन्नाथ मरौलिया का मकान, वार्ड-13, 758/1 पी.टी. कम्पनी के पास, मनकामनेशवर रोड, राजगढ़-465661 मो. 9926920193, 9827341398</p>	<p><b>12</b> <b>जिला – बालाघाट</b> जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. मंजु प्रजापति का भवन क्र.-271 वार्ड-22, शहीद भगत सिंह मार्ग मारडीकर गली प्रेम नगर, बालाघाट-480881 फोन न. 07632-244123 मो. 9827299722</p>
<p><b>13</b> <b>जिला – रायसेन</b> जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. गुर्जर भवन, प्रथम तल घाटमपुरा, वार्ड-17, रायसेन भोपाल हाईवे, रायसेन-464551</p>	<p><b>14</b> <b>जिला – नरसिंहपुर</b> जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. शोभाराम कोष्टा का भवन, एम.आई.जी. 19, त्रिमूर्ति नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, रोटरी पार्क के पास सामने शंकराचार्य वार्ड, नरसिंहपुर-487001 फोन न. 07792-231139 मो. 9424704394</p>

15	<b>जिला – इन्दौर एवं धार</b> जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. प्लाट न. 11, अग्रवाल नगर, नई भूमि, इन्दौर-452004 फोन न. 0731-2402003 मो. 9407136260	16	<b>जिला – छतरपुर एवं पन्ना</b> जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. उप संचालक कृषि के पास, विश्वनाथ कॉलोनी, महोवा रोड, छतरपुर-471001 फोन न. 07682-240567 मो. 9425641795
17	<b>जिला – सागर, दमोह एवं टीकमगढ़</b> जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. एच.आई.जी. 27, नारायण हॉस्पिटल के बाजू में पदमाकर नगर, मकरौनियों, सागर-47001 फोन न. 07582-232525 मो. 9893247968, 9424437771	18	<b>जिला – शहडोल</b> जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. शिवकुमार चन्देर का भवन न.-127/06, पॉलिटेकनिक कॉलेज के सामने, पांडव नगर, शहडोल-4840101 मो. 9755668701
19	<b>जिला – जबलपुर, कटनी, डिण्डोरी एवं मण्डला</b> जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. ब्लॉक नम्बर-10, जे.डी.के. कॉम्प्लेक्स, सिविक सेन्टर, जबलपुर-482001 फोन न. 0761-2411480 मो. 9425165435	20	<b>जिला – सीधी</b> जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. प्रभावती गौतम का मकान, प्रभासदन गौतम का मकान, प्रभासदन गौतम निवास, बेल्हा हाउस, सुभाष नगर, वार्ड-2, सीधी-48661 मो. 9755668701
21	<b>जिला – देवास एवं आगर</b> जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. मकान न. 9, 11 लक्ष्मीबाई पार्क मोती बंगला, गेलरी कम्प्यूटर के समाने, देवास मो. 9229924836	22	<b>जिला – सिंगरौली</b> जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. योगेन्द्र सिंह का मकान-113/5, शाहपुरा रोड धोंटी, बेढन एरिया, साई महाविद्यालय, सिंगरौली-486889 मो. 9755668701
23	<b>जिला – रीवा, सतना, अनूपपुर एवं उमरिया</b> जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. चौरसिया धरमकांटा के बाजू में, आजाद नगर गेट के सामने, रीवा-486001 फोन न. 07662-251405 मो. 9425158955	24	<b>जिला – दतिया</b> जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. श्री स्वामी शरणम, रानीलक्ष्मीबाई स्कूल के सामने, बली गली सीता सागर, दतिया-475661 मो. 9826999049
25	<b>जिला – होशंगाबाद एवं हरदा</b> जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, मीनाक्षी चौराहा, होशंगाबाद-46101 फोन न. 07574-250168 मो. 9425648843	26	<b>जिला – सीहोर</b> जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. 91, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, पंडित दीनदयाल नगर, सीहोर-466001 मो. 9525068439
27	<b>जिला – विदिशा</b> जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. सैय्यद अख्तर आलम का भवन, काली कॉलोनी, अहमदपुर चौराहा, सागर रोड, विदिशा फोन न. 07592-250114 मो. 989344853	28	<b>जिला – मुरैना एवं श्योपुर</b> जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. रामवीर सिंह तोमर का भवन, एम-430, न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, मुरैना-476001 मो. 9425116205

29	<b>जिला – भिण्ड</b> जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. डॉ. हरिशचन्द्र शर्मा का मकान, (जोधपुरा मिष्ठान भण्डार के पास) जिला चिकित्सालय के पास, पुराना पचासा लाईन, कस्बा, भिण्ड-477001 मो. 9826408464	30	<b>जिला – गुना</b> जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. रणवीर सिंह रघुवंशी का मकान न.-5 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, नानाखेड़ी, गुना-473001 फोन न. 07542-252822 मो. 9300607671
31	<b>जिला – मंदसौर, नीमच एवं रतलाम</b> जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. एल.आई.जी.-22, जनता कॉलोनी, (शासकीय माध्यमिक विद्यालय के पास) मंदसौर फोन न. 07422-255873 मो. 9827222217		